Jagran City, Meerut, 11/04/2026
Page No: 1, Size: 30.48cm × 24.29cm

उद्योगों में पीएनजी की 55 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति पर आया बढ़ा हुआ बिल, आइआइए ने जताया रोष

- गेल गैस ने मासिक खपत के आधार पर 55 प्रतिशत ही उपयोग करने का दिया था नोटिस
- आइआइए ने कहा, इससे ठप हो जाएगा उत्पादन, हर तरफ उद्योगों पर पड़ रही है मार

जागरण संवाददाता, मेरठ: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) मेरठ चैप्टर ने गेल गैस लिमिटेड द्वारा भेजे जा रहे बढ़े हुए बिल के खिलाफ विरोध जताया है। हाल ही में गेल गैस ने औद्योगिक गैस खपत को मासिक औसत के 55 प्रतिशत तक सीमित करने का नोटिस दिया था। इसमें कहा गया था कि यदि 55 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया गया तो 124.50 रुपये कीमत वसूली जाएगी। सामान्य रूप से औद्योगिक पीएनजी 80.50 रुपये प्रति यूनिट है। यानी 55 प्रतिशत से अधिक उपयोग करने पर प्रति यूनिट 44 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। अब गेल गैस ने 44 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाकर बिल भेजने शुरू कर दिए हैं।

आइआइए मेरठ के सचिव गौरव जैन ने गेल गैस के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इस कदम को अव्यावहारिक और विनिर्माण इकाइयों की जमीनी कार्यप्रणाली के खिलाफ बताया है। कहा कि उद्योगों के लिए यह संभव नहीं है कि वे दैनिक गैस सीमा का पालन करने के लिए दिन के बीच में अचानक अपना उत्पादन रोक दें। निरंतर-प्रक्रिया वाली मशीनरी को अचानक रोकने से भारी उत्पादन हानि, उपकरणों को नुकसान, सुरक्षा जोखिम और आपूर्ति श्रृंखला व निर्यात में बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा इससे रोजगार और काम के घंटों का भी भारी नुकसान होगा। उन्होंने लिखा कि आइआइए गेल गैस की आपूर्ति की समस्याओं को समझता है, लेकिन इसका सारा बोझ बिना किसी व्यावहारिक विकल्प के उद्योगों पर डालना गलत है। संगठन ने गेल गैस से इस व्यवस्था को बदलने की मांग की। कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगा बिल वापस लिया जाए। कहा कि अगर फैसले में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर उद्योग बंद हो जाएंगे, जिससे भारी वित्तीय नुकसान होगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाएंगी। उन्होंने जिलाधिकारी और उपायुक्त उद्योग को भी पत्र भेजा है।